

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्र.सं. : 04/2014

सायल :-	बनाम	गैरसायल:-
सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक पाली		शेर मो. उर्फ शेरु पुत्र मुख्तयार अली, जाति रंगरेज मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी मण्डिया रोड, पाली थाना कोतवाली पाली जिला पाली

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 2(ख)/3/7 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थित :

सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी पाली
गैरसायल की ओर से रणजीत सागर उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक :- 27.03.2018

सायल जिला पुलिस अधीक्षक पाली की ओर से दिनांक 12.03.2014 को गैरसायल शेर मो. उर्फ शेरु पुत्र मुख्तयार अली, जाति रंगरेज मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी मण्डिया रोड, पाली थाना कोतवाली पाली जिला पाली के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद/सूचना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैरसायल थाना कोतवाली, पाली व जोधपुर जिले का आपराधिक पृवति का व्यक्ति है जिसके खिलाफ वर्ष 2007 से इस्तगासा पेश करने की अवधि में 27 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिन में से 4 प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर सजा से दण्डित किया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	थाना	मु.नं./दिनांक	धारा	न्यायालय निर्णय
1	कोतवाली	266/11.06.07	379 IPC	जैर ट्रायल
2	कोतवाली	271/12.06.07	379 IPC	दि. 10.09.08 को सीजेएम कोर्ट पाली से दोषमुक्त
3	कोतवाली	275/13.06.07	457,380,411 IPC	दि. 16.07.08 को सीजेएम कोर्ट पाली से दोषमुक्त
4	कोतवाली	278/14.06.07	392 IPC	दि. 13.08.08 को सीजेएम कोर्ट पाली से दोषमुक्त
5	कोतवाली	121/01.04.08	147,148, 149,341, 323,342,427 ,336,452 IPC	जैर ट्रायल
6	कोतवाली	39/22.01.10	379 IPC	जैर ट्रायल
7	कोतवाली	84/03.03.10	379 IPC	दि. 26.08.11 को सीजेएम कोर्ट पाली से 6 माह का कारावास
8	कोतवाली	209/20.05.10	379 IPC	जैर ट्रायल
9	कोतवाली	52/06.02.10	379 IPC	दि. 16.03.12 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 6 माह का कारावास
10	कोतवाली	153/15.04.10	379 IPC	दि. 03.12.12 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 6 माह का कारावास
11	कोतवाली	238/13.06.10	379 IPC	दि. 24.08.11 को एसीजेएम कोर्ट पाली से 6 माह का कारावास

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पाली



12	कोतवाली	50/06.02.10	379 IPC	जैर ट्रायल
13	कोतवाली जोधपुर	43/18.03.10	379 IPC	जैर ट्रायल
14	प्रताप नगर जोधपुर	221/17.05.10	379, 401 IPC	जैर ट्रायल
15	प्रताप नगर जोधपुर	210/10.05.10	379, 483, 401 IPC	जैर ट्रायल
16	कोतवाली जोधपुर	56/03.04.10	379 IPC	जैर ट्रायल
17	कोतवाली जोधपुर	71/06.05.10	379 IPC	जैर ट्रायल
18	कोतवाली जोधपुर	74/19.05.10	379 IPC	जैर ट्रायल
19	औ.क्षेत्र बासनी जोधपुर	101/10.04.10	379 IPC	जैर ट्रायल
20	महामंदिर जोधपुर	134/01.04.10	379 IPC	जैर ट्रायल
21	कोतवाली जोधपुर	47/22.03.10	379, 401 IPC	जैर ट्रायल
22	डांगियावास जोधपुर	63/09.05.10	379 IPC	जैर ट्रायल
23	महामंदिर जोधपुर	140/06.04.10	379 IPC	जैर ट्रायल
24	कोतवाली	461/0.12.11	379 IPC	जैर ट्रायल
25	कोतवाली	454/04.12.11	379 IPC	जैर ट्रायल
26	कोतवाली	463/08.12.11	379 IPC	जैर ट्रायल
27	कोतवाली	186/01.05.12	379 IPC	जैर ट्रायल

उपरोक्त दर्ज चालान सुदा प्रकरणों एवं रोजनामचा आम मे दर्ज रपटों से यह बखूबी साबित है कि गैरसायल शेर मो. उर्फ शेरु पुत्र मुख्तयार अली, जाति रंगरेज मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी मण्डिया रोड, पाली थाना कोतवाली पाली जिला पाली नकबजनी के धंधे में लिप्त है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध प्रवृति में लिप्त है। जो आदतन नकबजनी होने से आम जनता में भय व्याप्त है एवं लोग गैरसायल के भय से पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं। निरन्तर अपराध करने से जनता में दुष्प्रभाव पडता है व पुलिस की छवि पर भी लोगो का अविश्वास प्रकट होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। अतः इस्तगासा बरखिलाफ गैरसायल के अन्तर्गत धारा 2 (ख)(iii)/3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपराधी को गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कारण हेतु कागूनी कार्यवाही करावे।

सायल की ओर से पेश प्रकरण इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त परिवाद/सूचना पर यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट होकर कि गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर गैरसायल के विरुद्ध लगाये गये आरोपो की सामान्य प्रकृति की सूचना हेतु धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 का नोटिस मय जिला पुलिस अधीक्षक पाली की सूचना/परिवाद की तामिल करवाई गई। गैरसायल ने उक्त परिवाद का कोई जवाब नहीं दिया तथा न ही कोई शहादत सूची प्रस्तुत की।



ए0पी0पी0 एवं गैरसायल की बहस सुनी गई। सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल पुलिस थाना कोतवाली एवं जोधपुर जिले का अब्बल दर्जे का बदमाश है, जिससे विरुद्ध विभिन्न प्रकरण न्यायालय में दर्ज है तथा गैरसायल को विभिन्न प्रकरणों में दोषसिद्ध घोषित किया गया है। गैरसायल का आम जनता में इतना भय है कि लोग इसके विरुद्ध सूचना देने में भी कतराते हैं, जिससे आम जनता में पुलिस की छवि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। गैरसायल आदतन चोर है, जो बावजूद सजा के भी निरन्तर अपराध में लिप्त है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं गैरसायल को गुण्डा घोषित कराते हुए जिले से निष्कासन के आदेश पारित करावें।

गैरसायल ने अपनी बहस में कथन किया कि गैरसायल को न्यायालय द्वारा परीविक्षा का लाभ दिया गया है तथा गैरसायल किसी भी रूप में चोरी नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासा दायर करने से छह माह पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण गैरसायल गुण्डा एक्ट की परिधी में नहीं आता है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन, अनुशीलन एवं विश्लेषण किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल के विरुद्ध माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली द्वारा प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित निर्णय दिनांक 16.03.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379 भादस के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं 200 रुपये के जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 125/2011 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379 भादस के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए छः माह के साधारण कारावास एवं 200 रुपये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 101/2011 में पारित निर्णय दिनांक 03.12.2012 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379, 120 बी, 411 भादस के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 126/2011 में पारित निर्णय दिनांक 24.08.2011 के तहत आदेश पारित करते हुए धारा 379 भादस के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करते हुए छः माह के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उपरोक्त प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(v) के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् के आधार पर गैरसायल शेर मो. उर्फ शेरू पुत्र मुख्तयार अली, जाति रंगरेज मुसलमान निवासी गरीब नवाज कॉलोनी मण्डिया रोड, पाली थाना कोतवाली पाली जिला पाली को गुण्डा घोषित किया जाता है तथा राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3(3)(क) के तहत तीन माह की अवधि के लिए पुलिस थाना कोतवाली पाली से निष्काषित कर जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर के नियंत्रण में रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा निर्धारित थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा इस अवधि में नेकचलन रहेगा तथा सदाचार एवं शांति बनाये रखेगा। गैरसायल अपने पास किसी प्रकार का मादक पदार्थ हथियार/शस्त्र नहीं रखेगा तथा किसी आपराधिक गतिविधि में कर्ता/दुष्प्रेरक के रूप में भाग नहीं लेगा एवं न ही किसी आपराधिक कार्य में सहायता करेगा। गैरसायल शेर मो. उर्फ



शेर खां, इस आदेश की पालना हेतु स्वयं का मुचलका 10 हजार रुपये एवं इसी कदर मौतबिर जमानत अधिनियम की धारा 7 के तहत पेश कर तस्दीक करायेगा। गैरसायल को आदेश दिये जाते हैं कि वह तत्काल पाली जिला छोड़कर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा निर्धारित थाने से सम्बन्धित थानाधिकारी गैर सायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे एवं थानाधिकारी कोतवाली जिला पाली अपने थाना क्षेत्र में गैरसायल के वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी तहरीर के साथ थानाधिकारी कोतवाली पाली, जिला पाली एवं जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर को भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पाली

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पाली